कार्यालय अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 22619......स्वशासी/स्था/एमसी/2020 रीवा दिनांक 9/12/2020

विज्ञप्ति

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 2–20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के परिपालन में स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हेतु **स्टॉफ नर्स** के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल/शासकीय/स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

आवेदन की अंतिम तिथि :–31.12.2020 सायं 05:00 बजे तक

				रोस्टर अनुसार वर्गीकरण					
क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	वेतनमान	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाति (16%)	ओ.बी.सी. (14%)	ई.डब्ल्यू. एस.(10%)	न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	स्टॉफ नर्स	111	सातवें वेतन मान के लेवल–7, न्यूनतम 28700/–	44 (म0=14, दिव्य0=03)	24 (म0=07, दिव्य0=01)	19 (म0=06, दिव्य0=01)	17 (म0=05, दिव्य0=01)	12 (म0=04, दिव्य0=01)	1.अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2.बी.एस.सी. नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3.म0प्र0नर्सिंग काउन्सिल में पंजीकृत परिचारिका।
2.	स्टॉफ नर्स (संविदा कर्मचारियों हेतु)	30		12 (म0=04, दिव्य0=01)	06 (म0=02, दिव्य0=00)	05 (म0=01, दिव्य0=00)	04 (म0=01, दिव्य0=00)	03 (म0=01, दिव्य0=00)	

(म0 = महिला, दिव्य0=दिव्यांग जन)

शर्ते एवं निर्देश :–

1. यह नियुक्ति "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" के अधीन होगी।
2. स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रू. 10,000/– पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् कार्यरत् स्टाफ नर्सो की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
3. पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार रहेगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
5. कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 14615/स्वशासी/स्था/एम.सी./2019 दिनांक 29.07.2019 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल/स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदकों को पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा।
6. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि** :– अधिष्ठाता कार्यालय, स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2020, सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा कार्यालय की अधिकारिक ई–मेल आई.डी. ssmc-rewa@mp.gov.in पर भेजे जा सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के साथ–साथ आवेदन पत्र का प्रारुप श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.com में उपलब्ध रहेगी।

अधिष्ठाता

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा

Advertiesment

अन्य शर्ते :–

1. **यात्रा भत्ता** :–दस्तावेज सत्यापन के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा ।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2020 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

   म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

- सामान्य वर्ग के लिए – **40 वर्ष**
- अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन /महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिये – **45 वर्ष**

3. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
4. जिला श्योपुर मुरैना दतिया ग्वालियर भिण्ड शिवपुरी गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला डिंडौरी शहडोल उमरिया बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
5. आरक्षण का लाभ म.प्र. के मूल निवासी को ही दिया जावेगा।
6. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यार्थियों को पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन जबलपुर (म0प्र0) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, जो कि 06 माह से अधिक पुराना न हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
9. यदि कोई आवेदक किसी शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं अन्य अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्ति उपरांत 1 वर्ष तक अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना संभव नही होगा।
11. निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी दिनांक 26.1.2001 के बाद जिस आवेदक को दो से अधिक संतान जन्म लिया है उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
12. अपूर्ण आवेदन का संपूर्ण दायित्व आवेदक का होगा तथा आवेदन स्वीकार न होने की स्थिति में तदविषयक पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
13. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वैरीफिकेशन/चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाएं समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
14. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
15. स्कूटनी परिणाम एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करें।
16. भर्ती नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

पृ0क0..स्था/अराज/एम0सी0/2020 रीवा दिनांक.........................

प्रतिलिपिः– 1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

Advertiesment

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

आवेदन का स्वरूप

पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो

1. आवेदित पद का नाम ....

2. विज्ञापन कमांक .... दिनांक ....

3. आवेदक का पूरा नाम (उप नाम सहित)..............................

4. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित)..................................

5. जन्म तिथि ....
(सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. वर्तमान निवास का पता तथा पिन कोड :—..

7. स्थाई निवास का पूर्ण पता तथा पिन कोड :— ....

8. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि ....

10.नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक ....

11. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक ....

11. शैक्षणिक योग्यता :—

क.	परीक्षा का नाम	शासकीय नर्सिंग स्कूल/शासकीय/स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक

13. अन्य विशेष योग्यता :— ....

14. सेवारत (नियमित/संविदा) होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करें।

15. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ—पत्र संलग्न करें।

16. विधवा/परित्यकक्ता/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमणित तद्विषयक शपथ—पत्र संलग्न करें।

17. अनुभव प्रमाण—पत्र।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :—

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

प्रमाण पत्र

प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है,जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

Advertiesment